

कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, हजारीबाग  
(गोपनीय शाखा)

-: आदेश :-

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न से संचिका सीधे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित कराया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट प्रस्ताव/मंतव्य आदि का अभाव पाया जाता है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु जिले के वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से संचिका उपस्थापित कराने का निर्णय लिया गया है जो निम्नवत् है:-

क्र०	कार्यालय/विभाग का नाम	वरीय पदाधिकारी का पदनाम
1.	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, भवन प्रमंडल, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लघु सिंचाई प्रमंडल, जल पथ प्रमंडल, पंचायत, एन०आर०ई०पी०, मत्स्य, पथ निर्माण विभाग, जिला विकास, जिला योजना, एन०आर०एल०एम०, श्रम विभाग, कृषि, भूमि संरक्षण से संबंधित संचिका,	उप विकास आयुक्त, हजारीबाग
2.	राजस्व, आपूर्ति, सामान्य शाखा, निलाम पत्र शाखा, आपदा, विधि व्यवस्था, खनन (उद्योग, खान, एवं भूतत्व), अभिलेखागार, भू-अर्जन, नजारत, परिवहन, उत्पाद एवं स्थापना से संबंधित संचिका,	अपर समाहर्ता, हजारीबाग
3.	सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कल्याण, विधि, निर्वाचन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित संचिका	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग
	नगर निगम, बाल संरक्षण से संबंधित संचिका	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग
	शिक्षा, खेल-कुद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं अन्यान्य विभाग से संबंधित संचिकाएँ	प्रभारी उपसमाहर्ता, गोपनीय शाखा,

सभी संबंधित कार्यालय/विभागों के पदाधिकारी/अभियंता को निदेश दिया जाता है कि संचिका का निष्पादन प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। संचिका के मुवमेन्ट पंजी का संधारण सभी कार्यालय में करना सुनिश्चित करेंगे। संचिका में हस्ताक्षर के साथ पदाधिकारी का पूरा का नाम तथा पदनाम वाले मुहर का प्रयोग भी किया जायेगा। सभी संचिकाएँ वरीय पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित होने के उपरांत संचिका का अध्ययन कर एवं स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अपने मंतव्य के साथ ससमय

संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे। वरीय पदाधिकारी अपने आवंटित विभागों के विस्तृत समीक्षा अवश्य करेंगे तत्पश्चात प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को (अवकाश होने पर एक दिन बाद) अधोहस्ताक्षरी के समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

27.6.16  
I.C. conf.

ज्ञापांक/1356/सी0

27/6/16

उपायुक्त, हजारीबाग

दिनांक/28/जून, 2016

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, हजारीबाग/अपर समाहर्ता, हजारीबाग/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, बरही/असैनिक शल्य चिकित्सक -सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला योजना पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, हजारीबाग/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, हजारीबाग/जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग/ सभी प्रभारी पदाधिकारी, हजारीबाग समाहरणालय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पधद, हजारीबाग/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, हजारीबाग/ई-डिस्ट्रीक मैनेजर, हजारीबाग/जिला कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ नजारत उप समाहर्ता, हजारीबाग/जिला अवर निबंधक, हजारीबाग/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग/उप निर्वाचन पदाधिकारी, हजारीबाग/अधीक्षक, जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग/जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, हजारीबाग/सहायक खनन पदाधिकारी, हजारीबाग/ जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला मलेरिया पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला खेलकूद पदाधिकारी, हजारीबाग/ परियोजना निदेशक, आत्मा, हजारीबाग/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, हजारीबाग/सहायक आयुक्त, उत्पाद, हजारीबाग/कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत हजारीबाग/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.6.16  
I.C. conf.

27/6/16

उपायुक्त, हजारीबाग